

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6/अ0-03-06/2021

पटना, दिनांक:—

श्रीमती विनीता वत्स, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं बैच), मुख्यालय, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 23.04.2026 से 15.05.2026 तक कुल 23 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक 16.05.2026 को शनिवारीय एवं दिनांक 17.05.2026 को रविवारीय अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्रीमती वत्स के अवकाश लेखा में (209-23=186) एक सौ छियासी दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 6/अ0-03-06/2021 1701 पटना, दिनांक.—14/5/26

प्रतिलिपि :— वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0 आर0 एम0 एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-एच0आर0 मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती विनीता वत्स, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं बैच), मुख्यालय, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।